भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.04.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5172 का उत्तर

रेलवे स्टेशन में प्रवेश

5172. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के 60 व्यस्ततम स्टेशनों पर केवल कन्फर्म्ड रेल टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश करने की अनुमति देने की नीति अपनाई है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है;

(ख) इस नीति के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले स्टेशनों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ग) क्या यह संभव है कि इसके अंतर्गत और स्टेशनों को शामिल किया जाए, यदि हां, तो ऐसे विस्तार की समय-सीमा क्या है और उन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले गैर-यात्रियों और उपस्थित लोगों की आवाजाही को किस प्रकार प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसी परियोजना के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ-साथ प्रयुक्त किसी प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): त्यौहार/मेला अवधियों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए रेलवे द्वारा सीमित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया गया है जहां ऐसे समय के दौरान, स्टेशनों के बाहर होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए थे और यात्रियों को केवल तभी अनुमति दी गई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी।

इसके अलावा, स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए, रेलवे द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-

1. 60 स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र:

   i. 2024 के त्यौहारों के दौरान, स्टेशनों के बाहर होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए थे। इनप्रतीक्षालयों के कारण सूरत, उधना, पटना और नई दिल्ली में यात्रियों की भारी भीड़ को संभाला जा सका। यात्रियों को केवल तब अनुमति दी गई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी।

   ii. महाकुंभ के दौरान प्रयाग क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई थी।

   iii. इन स्टेशनों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर, देश भर में 60 स्टेशनों पर, स्टेशन के बाहर जहां समय-समय पर अत्यधिक भीड़ होती है, वहां स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया गया है।

   iv. नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाज़ियाबाद स्टेशनों पर प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू हो गई हैं।

   v. इस अवधारणा के अनुसार, अचानक बढ़ी भीड़ को प्रतीक्षा क्षेत्र के भीतर नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को प्लेटफॉर्मों पर जाने की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब गाड़ियां प्लेटफार्म पर पहुंच जाएगी। इससे स्टेशनों पर भीड़ कम होगी।

2. पहुंच नियंत्रण:

   i. 60 स्टेशनों पर कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल की शुरुआत की जाएगी।

   ii. कनफ़र्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्मों पर सीधे एक्सेस दिया जाएगा।

   iii. बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री बाहर के प्रतीक्षा क्षेत्र में इंतजार करेंगे।

   iv. सभी अनधिकृत एंट्री प्वाइंट को सील कर दिया जाएगा।

3. चौड़े फुट ओवर ब्रिज:

   i. 12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक पैदल पार पुल के दो नए डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। रैंप वाले ये चौड़े फुट ओवर ब्रिज महाकुंभ के दौरान भीड़ संभालने में बहुत प्रभावी थे। ये नए मानक वाले चौड़े फुट ओवर ब्रिज सभी स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे।

4. कैमरे:

i. महाकुंभ के दौरान भीड़ संभालने में कैमरों की बड़ी भूमिका रही। सभी स्टेशनों और आस-पास के क्षेत्रों में गहन निगरानी के लिए बड़ी संख्या में कैमरे लगाए जाएंगे।

5. वार रूम:

i. बड़े स्टेशनों पर वार रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़ की स्थिति के दौरान सभी विभागों के अधिकारी वार रूम में काम करेंगे।

6. नई पीढ़ी के संचार उपकरण:

i. भारी भीड़ वाले सभी स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणाली, कॉलिंग प्रणाली जैसे नवीनतम डिज़ाइन के डिजिटल संचार उपकरण लगाएं जाएंगे।

7. नए डिज़ाइन वाले आईडी कार्ड:

i. सभी कर्मचारियों और सेवा प्रदाता व्यक्तियों को एक नए डिज़ाइन का पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

8. कर्मचारियों के लिए नए डिज़ाइन की वर्दी:

i. सभी सदस्य कर्मचारियों को नए डिज़ाइन की वर्दियां दी जाएंगी ताकि उन्हें संकट की स्थिति में आसानी से पहचाना जा सके।

9. स्टेशन निदेशक पद का उन्नयन:

i. सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सभी अन्य विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।

ii. स्टेशन निदेशक को वित्तीय सशक्तिकरण मिलेगा ताकि वह स्टेशन सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सके।

10. क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री:

i. स्टेशन निदेशक को स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध गाड़ियों के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए, सभी हितधारकों को शामिल करके स्टेशन विशेष योजनाएँ बनाई जाती हैं, जिनमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), स्थानीय पुलिस और स्थानीय नागरिक प्रशासन शामिल होते हैं और तदनुसार यात्रियों के आगम प्रबंधन संबंधी कार्रवाई की जाती है। महत्वपूर्ण

गाड़ियों में बिना किसी परेशानी के चढ़ने के लिए प्रारंम्भिक स्टेशनों पर कतार प्रणाली बनाए रखी जाती है।

भारी भीड़ के दौरान, भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को वास्तविक समय पर सहायता प्रदान करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों को फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए तैनात किया जाता है। आसूचना इकाइयों (सीआईबी/एसआईबी) और सादे कपड़ों में कर्मचारियों को भीड़ के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए तैनात किया जाता है और उसके अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस/पुलिस की सहभागिता से व्यवस्थाएं की गई थी।

अत्यधिक भीड़-भाड़ के दौरान, जब यात्रियों की भारी आवाजाही की संभावना होती है, जो स्टेशन पर बुजुर्ग, अशिक्षित और महिला यात्रियों के लिए आए हैं और जो रेलवे स्टेशनों पर स्वयं की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हैं, की सहायता करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर क्षेत्रीय रेलें प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने पर रोक लगाकर स्टेशनों पर प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत हैं।

रेल परिसर में किसी भी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश करना अपराध है और रेल परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

त्योहार/मेला अवधि के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए ऐसे उपाय करना भारतीय रेल में सतत् और चालू प्रक्रिया है।

******